

COURT FEE



INDIA

Rs. 0000020 ≈ 15.4.2011

374152

BIHAR

Authorization No. 201



निवायन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) १५.४.२०११ (सदन का नाम) के लिए  
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जोन वाला शपथपत्र

भाग-क

\* \* पुत्र/पुत्री/स्त्री १५.४.२०११ डाकपत्र कुमार

आयु ४५ वर्ष, जो १०६, राष्ट्र परिवहन बाजार,

विवाहित, डोर्पटी, राँची, मालवा (डाक का  
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं भाजपा (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा  
किया गया अभ्यर्थी/\*\*एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में खड़ा रहा है।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम मधुराया राँची (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं १९५  
के क्रम सं ३५१ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ९४३११५५२२ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) lakshmi@rediffmail.com

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

✓

क्रम सं	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	AR2PS2405F	2012-13	4,02200
2.	पति या पत्नी	150BPK9404C	2012-13	2,22000
3.	आश्रित-1	१००८	२१०८	२१०८
4.	आश्रित-2	२१०८	२१०८	२१०८
5.	आश्रित-3	२१०८	२१०८	२१०८

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण व्यौरे	२१०८
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	२१०८
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	२१०८
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विचरण की गई	२१०८
(ङ.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	२१०८
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं	२१०८

2

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) मेरी वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	22/11
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	22/11
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	22/11

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	22/11
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदशों) की तारीख (तारीखें)	22/11
(ग)	अधिरोपित दंड	22/11
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	22/11

7

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में रकम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	10,000	15000	✓ न	✓ न	✓ न
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	नारकोप ८८८ बैंक पौधा प्रो-२६०००	झोक ३१५ धनिया ५५८ १५०००	✓ न	✓ न	✓ न
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	✓ न	✓ न	✓ न	✓ न	✓ न

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	भवित्व जीवा प्रताप	वित्तीय उत्तर	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	वाहन भाइ प्रताप भगवान्नाई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटररयान/वायुयान/याट/पोत (सेक्टर रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	JH0917 TATA ARIA 99-2D13 1100000	JH01X 4548 SC0014 30,000	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	20 लाख 60,000=	80 लाख 2,4000=	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1560000+ 66000	600000=	शून्य	शून्य	शून्य
आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे		1626000=				

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	बमसर उत्तराखण्ड 24/10114	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	2 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संर्निमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विनिधान						
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२० लाख	२२८	२२५	२२५	२२५
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवरिथिति (अवरिथितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	४५ लाख	२२८	२२५	२२५	२२५
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	५५ लाख	२२५	२२५	२२५	२२५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	दी	२२८	२२५	२२५	२२५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३० लाख	२२८	२२५	२२५	२२५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३० लाख	२२८	२२५	२२५	२२५
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१० लाख	२२८	२२५	२२५	२२५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१० लाख	२२८	२२५	२२५	२२५
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवरिथिति (अवरिथितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	२२८	२२८	२२५	२२५	२२५
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२२८	२२५	२२५	२२५	२२५
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२२८	२२८	२२५	२२५	२२५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	२२८	२२८	२२५	२२५	२२५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२२८	२२८	२२८	२२८	२२८
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२२८	२२८	२२८	२२८	२२८
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	२२८	२२८	२२८	२२८	२२८
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२२८	२२८	२२८	२२८	२२८
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवरिथिति (अवरिथितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	२२८	२२८	२२८	२२८	२२८
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२२८	२२८	२२८	२२८	२२८
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२२८	२२८	२२८	२२८	२२८
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	२२८	२२८	२२८	२२८	२२८
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में	२२८	२२८	२२८	२२८	२२८

क्रय की तारीख	2/11	2/12	9/11	2/12	8/11
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	820/-	820/-	820/-	820/-	820/-
विकास, संनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	820/-	820/-	820/-	820/-	820/-
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	820/-	820/-	820/-	820/-	820/-
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	820/-	820/-	820/-	820/-	820/-
(VI) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	30,00000/-	820/-	820/-	820/-	820/-

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	भैगमानिक 5 लाख	820/-	820/-	820/-	820/-
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	820/-	820/-	820/-	820/-	820/-
	कोई अन्य दायित्व	820/-	820/-	820/-	820/-	820/-
	दायित्वों का कुल योग	5 लाख	820/-	820/-	820/-	820/-
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	820/-	820/-	820/-	820/-	820/-
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	820/-	820/-	820/-	820/-	820/-
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	820/-	820/-	820/-	820/-	820/-
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	820/-	820/-	820/-	820/-	820/-
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	820/-	820/-	820/-	820/-	820/-
	आय-कर शोध्य	820/-	820/-	820/-	820/-	820/-

धनकर शोध्य	१२८	७०८	१५८	११८
सेवाकर शोध्य	२१८	३८८	११८	१४८
नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	१२८	२८८	१८८	१२८
विक्रयकर शोध्य	१२८	२८८	१८८	१२८
कोई अन्य शोध्य	१२८	१८८	१८८	१२८
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	१२८	१२८	१८८	१२८
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	१२८	१२८	१२८	१२८

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ..... ऊपवलाम

(ख) पति या पत्नी ..... ऊपवलाम

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

विद्यार्थी प्रियालय पट्टीला, पट्टा - १९८४ (१९८५) में से

विद्यार्थी प्रियालय पट्टीला, पट्टा - १९८६ इन्हें

मन्त्रालय - प्रियालय, बोधगया - १९८९ द्वारा आवास इति ६८

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	मधुरशीष	श्री/श्रीमती/कु ०	मधुरशीष		
2	डाक का पता		106, राष्ट्रपथ पर अपार्टमेंट निवास पुराडोल्डा - बंगला, आगरा			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		१५. झज्जफ्फरपुर, बिहार			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)		जय भद्रभाज्ज पाल			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।		२८			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिल्न)		२८			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)		२८			
7		..... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	R2PS 2405F	2012-13	4,2200		
	(ख) पति या पत्नी	B0BPK 9404C	2012-13	222000		
	(ग) आश्रित	२८	२८	२८		
8	आस्तियाँ और दायित्वों के व्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	२८	२८	२८	२८	२८
ख	स्थावर आस्तियाँ	२८	२८	२८	२८	२८

	I. स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	₹ ८०	२००	२२०	२००	२००
	II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	₹ ८०	१००	१००	१००	१००
	III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	३० लाख	२२०	२२०	१००	१००
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	३० लाख	१००	१००	१००	१००
9	दायित्व	१००	१००	१००	१००	१००
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	१००	१००	१००	१००	१००
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	५० लाख १०० लाख	१००	१००	१००	१००
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	१००				
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	१००	१००	१००	१००	१००
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	१००	१००	१००	१००	१००
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	<p>इनाहु (ग्रन्थ) ग्रन्थालय १९८७ विद्यालय १९८१ विद्यालय      ६००र - विद्यालय १९८६ विद्यालय १९८६ पर्याप्त      ग्रन्थ - विद्यालय १९८४ विद्यालय १९८४ पर्याप्त      (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्याप्रे दें।)</p>				

मैं उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वरतु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 19-04-2014 को सत्यापित किया गया।

*Madhuri Shrivastava*  
अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथारित शून्य या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अंस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएं हैं/हैं 13115552  
मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है... Madhuri Shrivastava @ Gmail.com  
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंटस (अगर कोई हो) है..."

*Madhuri Shrivastava*

ext 10908196  
19/04/14

*Jumee*  
19/04/14